2022/255

फर्द अहकाम

अतुल वगैरह बनाम राज0 सरकार वगैरह

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

संख्या ....183..../2022 प्रा0पत्र पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/8/22	प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री रामनिवास गुर्जर ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 0.02है0, 248/281 रकबा 0.16 है0, 249/282 रकबा 0.11 है0, 250/283 रकबा 0.14 है0, 251/284 रकबा 0.29 है0 , 252 रकबा 1.52 है0, 253 रकबा 1.72 है0, 255 रकबा 3.56 है0, 256 रकबा 1.50 है0, 257 रकबा 0.38 है0, 258 रकबा 0.71 है0, 259/285 रकबा 0.20 है0, 260/286 रकबा 0.06 है0, 261/287 रकबा 0.16है0, 262 रकबा 1.57 है0, 263 रकबा 0.03है0, 264 रकबा 0.81 है0, 265 रकबा 0.43 है0, 266 रकबा 0.57 है0, 267 रकबा 0.59 है0, 268 रकबा 0.05है0, 270 रकबा 0.05है0, 271 रकबा 0.18 है0 कुल किता 24 रकबा 14.79 है0 भूमि वाके ग्राम धेलावास तहसील शाहपुरा में स्थित है जो कि प्रार्थीगण का 7/8 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त आराजी का तहसीलदार शाहपुरा के आदेशो की पालना में पटवारी हल्का के द्वारा 28.7.2021 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। उक्त आराजी के पडौसी कास्तकारों द्वारा सींव डोल सीमा विवाद व सीमा को काट काट कर अपनी ओर मिलाते रहने के कारण तथा टोकने पर आमादा फिसाद करते रहने के कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया उक्त आराजी जिसका पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है का पडौसी कास्तकारों से आये दिन होने वाले विवादों से निपटारा हेतु पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया । प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि उक्त आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 28.7.2021 को किया जा चुका है तथा भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी भूमि की सुरक्षा तथा पडौसी काश्तकारों के द्वारा सींव डोल काटने से होने वाले आये दिन विवादों से बचने हेतु पुख्ता सीमा चिन्हीकरण हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है , जो एक खातेदार का अधिकार है कि वह अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करवा सकें, तथा इससे होने वाले विवादों का स्थायी समाधान हो सकें । अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का किये जाने का आवश्यक प्रकृति का मानते हुए तथा राज्य सरकार की मंशा के अनुसार प्रार्थना पत्रों का शिघ्र निस्तारण हेतु आदि को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता हैं कि आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 0.02है0, 248/281 रकबा 0.16 है0, 249/282 रकबा 0.11 है0, 250/283 रकबा 0.14 है0, 251/284 रकबा 0.29 है0 , 252 रकबा 1.52 है0, 253 रकबा 1.72 है0, 255 रकबा 3.56 है0, 256 रकबा 1.50 है0, 257 रकबा 0.38 है0, 258 रकबा 0.71 है0, 259/285 रकबा 0.20 है0, 260/286 रकबा 0.06 है0, 261/287 रकबा 0.16है0, 262 रकबा 1.57 है0, 263 रकबा 0. 03है0, 264 रकबा 0.81 है0, 265 रकबा 0.43 है0, 266 रकबा 0.57 है0, 267 रकबा 0.59 है0, 268 रकबा 0.05है0, 270 रकबा 0.05है0, 271 रकबा 0.18 है0 कुल किता 24 रकबा 14.79 है0 भूमि वाके ग्राम धेलावास तहसील शाहपुरा का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 287.7.2021 के अनुसार आस पास के पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हों । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । उप खण्ड अधिकारी (मनमोहन मीना) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	